चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 27.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक-31.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी एलआईयू श्री नागेन्द्र भूषण पाण्डेय के मार्गदर्शन में न्यायालय सुरक्षा प्रभारी की उपस्थिति में डॉग स्क्वॉयड,एलआईयू की संयुक्त टीम द्वारा जिला बार एसोसिएशन शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत न्यायालय परिसर,कोर्ट चैम्बर्स व लॉकप में संदिग्ध वस्तुओं/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिहं के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यावही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद

अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी एवं उनकी टीम द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

➡️ उल्लेखनीय है कि दिनाँक 29.01.2026 को थाना मारकुण्डी क्षेत्रान्तर्गत एक वादिया द्वारा थाना मारकुण्डी पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री को दुकान से लौटते समय जबरजस्ती उठाकर घर के अन्दर ले जाना तथा शरीर को हाथ लगाना व शारीरिक सम्बन्ध बनाने की कोशिश करना तथा वादिया के लड़के को जान से मारने की धमकी देना। इस सूचना पर थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 06/2026 धारा 127,74,351(3) बीएनएस व 7/8/18 पॉक्सो एक्ट बनाम मनोज त्रिपाठी पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्राप्त साक्ष्य व बयान के आधार पर धारा 74 के स्थान पर धारा 65(2) की बढ़ोतरी की गयी।
आज दिनाँक 31.01.2026 को श्री निशिकान्त राय प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मनोज त्रिपाठी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.श्री निशिकान्त राय प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी
2.उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह
3.आरक्षी कैलाश कुमार

(4). आज दिनाँक 30.01.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा थाना राजापुर के समस्त विवेचकों का अर्दली रुम निम्न बिन्दुओं पर किया गया ।

1.लंबित विवेचनाएं व अहकामात।
2.E–साक्ष्य ऐप से अधिकाधिक SID जेनरेट कर FIR से लिंक करना।
3.E–summon का समयबद्ध तामीला।
4.E–challan की समुचित कार्यवाही।
5.IGRS/प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण।
6.प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही।
7.चोरी, नकबजनी, टप्पेबाजी की घटनाओं का सफल अनावरण व प्रभावी रोकथाम।
8.महिला/दलित उत्पीड़न संबंधी अपराधों में प्रभावी व समयबद्ध कार्यवाही ।
9.CS/FR का माननीय न्यायालय में दाखिला के संबंध में।
10.फरियादियों के साथ मृदुल व्यवहार,उनकी समस्या को सुनने के लिए पर्याप्त समय देना तथा तदनुरूप आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाकर समस्या का समुचित निस्तारण करना आदि।
अर्दली रुम के प्रभारी राजापुर उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता एवं अन्य विवेचकगण उपस्थित रहे।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे एवं पैरोकार आरक्षी हिमांशू पटेल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा आज दिनांक 31.01.2026 को थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 96/2018 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त

राजा मिश्रा पुत्र राजेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी रैपुरा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि व 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।